>

Title: Need to suspend the officials involved in illegal mining of quarry.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, 27 अप्रैल, 2010 को अंडमान के मध्य अंडमान में, एक युवा, श्री सपन मिस्त्री, उम्र 30 साल की, पत्थर की क्वैरी में, ऊपर की मिट्टी धंसने के कारण खदान धंसने से उसकी सायंकाल 5.00 मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल, 2010 को दिन में 11.00 बजे उसकी बॉडी को रिकवर किया गया। दुख की बात है कि तहसील ऑफिस रंगत से हवा महल में जो गैरकानूनी क्वैरी चल रही थी उसकी दूरी केवल एक किलोमीटर है, जहां सपन मिस्त्री की मृत्यु हुई। सपन मिस्त्री के परिवार में तीन बच्चे और उसके बूढ़े माता-पिता हैं।

महोदया, यह अत्यन्त दुख की बात है कि ऐसी दुर्घटना पहले भी हरिनगर में हुई, जहां पत्थर की खदान थी। वह आज भी चल रही है। वहां भी दो आदमियों की मृत्यु हो गई, लेकिन भारत सरकार और प्रशासन से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार के मुताबिक आम आदमी बीमा योजना, जनश्री योजना है, लेकिन उसके बावजूद बीमा कंपनी की ओर से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला।

महोदया, उप राज्यपाल महोदय का फंड है। अतीत में उप राज्यपाल महोदय के फंड से ऐसी मृत्यु के समय दो लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन हरिनगर क्वैरी में जिन युवाओं की मृत्यु हुई, उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। मुझे उम्मीद है और मैं मांग करता हूं कि उप राज्यपाल महोदय के फंड से सपन मिस्त्री के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलें और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए।

महोदया, मैं मांग करता हूं कि जो अधिकारीगण, गलत तरीके से, नियमों के विरुद्ध, पैसे लेकर क्वैरी चला रहे हैं, उन्हें तुरन्त सस्पेंड किया जाए और मध्य अंडमान में नई क्वैरी का अलाटमेंट किया जाए जिसके लिए प्रशासन के पास अनुमोदन की रिक्वैस्ट की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे और बढ़िया तरीके से क्वैरी चले।

MADAM SPEAKER: Shri Pradeep Majhi – Not present.